जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 31.10.2022

थाना आदर्शमंडी

थाना आदर्श मण्डी पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर में हुई युवक की हत्या में तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुख्य हत्याभियुक्त सहित 02 बाल अपचारी हिरासत में व 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आलाकत्ल अवैध असलाह बरामदः-

दिनांक 28.10.2022 को रात्रि समय 08.00 बजे ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमण्डी निवासी अनमोल पुत्र प्रवीण अपने दोस्तों के साथ गाँव के ही रामपाल पुत्र बुधसिंह के यहां माता के जागरण में गया था उसी दौरान फोन पर बात करते हुए बाहर कोल्हू के पास पहुंचा तो कोल्हू के पास पहले से ही मौजूद आर्यन पुत्र जितेन्द्र निवासी जलालपुर थाना आदर्शमण्डी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनमोल की गोली मारकर हत्या कर दी । सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक शामली, अपर पुलिस अधीक्षक शामली, क्षेत्राधिकारी नगर तथा प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी मय फोर्स के मौके पर पहुचे तथा घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये । थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्ट मार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया । घटना के संबंध में मृतक अनमोल के चाचा श्री मोहित शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद जितेन्द्र पुत्र जलसिंह , आर्यन पुत्र जितेन्द्र, नवीन पुत्र संजय कश्यप निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमण्डी व 02 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 231/2022 धारा 147, 302 भादवि में पंजीकृत किया गया। घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी, सर्विलांस टीम एवं एसओजी टीम को निर्देशित किया गया था । विवेचना के दौरान घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगणों शुभम पुत्र शीशपाल उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम पुरमाफी थाना झिंझाना , अरविन्द पुत्र ओमपाल निवासी काकड़ा थाना शाहपुर जनपद मु0नगर, विनय पुत्र सतीश निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के नाम प्रकाश में आये । गठित टीमों द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे ।

इसी क्रम में दिनांक 30/31.10.2022 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में सूचना पर करोड़ी रोड़ चौराहे से अनमोल की हत्या में शामिल मुख्य हत्याभियुक्त सहित 02 बालअपचारी हिरासत में व 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है , जिनके कब्जे से आलाकत्ल , अवैध 02 तमंचे मय 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- अपचारी मुख्य हत्याभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 22.10.22 को गांव में अनमोल उर्फ गोली पुत्र प्रवीण शर्मा निवासी ग्राम जलालपुर व उसके साथियो ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की थी। उसका बदला लेने के लिये मैंने दिनांक 28.10.22 को अपने चाचा विनय की टयूबवैल पर चाचा विनय पुत्र सतीश तथा शिवदत्त उर्फ अर्जुन पुत्र रामशरण व राहुल उर्फ धीरा पुत्र रामनिवास निवासी काकडा थाना शाहपुर मु0नगर तथा शुभम पुत्र शीशपाल निवासी पुरमाफी थाना झिंझाना को बुलाकर 12 बजे दिन मे अनमोल की हत्या करने की योजना बनायी । योजना के अनुसार समय करीब रात 8 बजे जलालपुर मे गांव के बाहर लगे गन्ने के कोल्हू के पास अनमोल उर्फ गोली अपने तीन साथियो के साथ जैसे ही कोल्हू के सामने सडक पर आया तो आर्यन ने कहा कि यही अनमोल है तो शुभम, राहुल, शिवदत्त ने कहा कि मार गोली इस पर। आर्यन ने अनमोल पर सामने से उसकी छाती में गोली मारकर हत्या कर दी और मो0सा0 अपाचे नम्बर DL-7SCG-0365 पर चारो बैठकर भाग गये तथा शुभम ने बताया

कि मै अपने साथी आर्यन व अन्य के साथ मौके पर मौजूद था , यदि आर्यन का तमन्चा नही चलता तो मैं अपने तमन्चे से गोली मार देता।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.अरविन्द पुत्र ओमपाल निवासी काकड़ा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2.विनय पुत्र सतीश निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.आलाकत्ल अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3.घटना में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल नम्बर-DL-7SCG-0365

4.एक मोबाइल एन्ड्रॉयड ओप्पो कम्पनी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.निरीक्षक श्री अवनीश कुमार प्रभारी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

5.उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

6.उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

7.उ0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना प्रभारी एसओजी शामली।

8.है0का0 नितिन मलिक एसओजी शामली।

9.का0 अनुज कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

10.का0 आकाश कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

11.का0 नितिन त्यागी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

12.का0 मनीष कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.10.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. इरफान पुत्र करीमुदीन उर्फ करीमू निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

अपाधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 602/2017 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 820/19 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 92/2020 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 93/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 95/20 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 105/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली
7. मु0अ0सं0 426/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मनेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
2. हे0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना

03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 लीटर अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 31.10.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 1. अरशद उर्फ कल्लू पुत्र सवेरा निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली 2. शोक पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली तथा सफाकत पुत्र शराफत निवासी मरकज मस्जिद के पास थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 15 लीटर कच्ची/अपमिश्रित शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।